



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 अगस्त 2023 — श्रावण 25, शक 1945

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 अगस्त 2023

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 04-03/2022/23.— जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, एतद्वारा छत्तीसगढ़ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 10 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) जहां नाम के बिना किसी बच्चे का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो, वहां ऐसे बच्चे के माता पिता या अभिभावक, बच्चे के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तिथि से बारह मास के भीतर, या तो मौखिक रूप में या लिखित में, रजिस्ट्रार को बच्चे का नाम के संबंध में सूचना देगा: परन्तु:—

(एक) ऐसे मामले में, जहां रजिस्ट्रीकरण, छत्तीसगढ़ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के प्रारंभ की तिथि से पूर्व किया गया था, वहाँ सूचना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अग्रतर पांच वर्ष की अवधि तक दी जाएगी, या

(दो) ऐसे मामले में, जहां रजिस्ट्रीकरण, छत्तीसगढ़ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के प्रारंभ की तिथि को या बाद में किया गया है, वहाँ सूचना, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तिथि से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व या इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अग्रतर पांच वर्ष की अवधि तक दी जाएगी, या

(तीन) ऐसे मामले में, जहां रजिस्ट्रीकरण, छत्तीसगढ़ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के प्रारंभ को या बाद में किया जाता है, और सूचना, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तिथि से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व दी जाती है, वहाँ धारा 23 की उप-धारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार—

(क) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में है, तो पांच रुपए की विलम्ब फीस के भुगतान पर जन्म रजिस्टर के सुसंगत कालम में नाम को तुरंत दर्ज करेगा,

(ख) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में नहीं है तथा यदि सूचना मौखिक रूप में दी गई है, तो आवश्यक विवरण अन्तर्विष्ट करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा, तथा यदि सूचना लिखित में दी गई है, तो पांच रुपए की विलम्ब फीस के भुगतान पर आवश्यक प्रविष्टि करेगा और उसे जिला रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमृत विकास तोपनो, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 4 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 04-03/2022/23.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमृत विकास तोपनो, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 4th August 2023

#### NOTIFICATION

No. F 04-03/2022/23.— In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), the State Government, with the approval of the Central Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Registration of Births and Deaths Rules, 2001, namely: -

#### AMENDMENT

In the said rules,-

For sub-rule (1) of rule 10, the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(1) Where the birth of a child is registered without a name, the parent or guardian of such child shall, within twelve months from the date of registration of the birth of the child, either orally or in writing, communicate to the Registrar the name of the child: Provided that :-

- (i) in a case where the registration was made before the date of commencement of the Chhattisgarh Registration of Births and Deaths Rules, 2001, the notice shall be given upto further period of five years from the date of publication of this notification, or
- (ii) in a case where the registration has been made on or after the date of commencement of the Chhattisgarh Registration of Births and Deaths Rules, 2001, this notice shall be given before the expiry of a period of fifteen years from the date of such registration or upto further period of five years of the date of publication of this notification, or
- (iii) in a case where the registration is made on or after the commencement of the Chhattisgarh Registration of Births and Deaths Rules, 2001 and the notice is given before the expiry of a period of fifteen years from the date of such registration, subject to the provisions of sub-section (4) of Section 23, the Registrar may -
  - (a) if the register is in his possession, shall forthwith enter the name in the relevant column of the register of births on payment of a late fee of rupees five,
  - (b) if the register is not in his possession, and if the information is given orally, prepare a report containing the necessary particulars, and if the information is given in writing, make the necessary entry on payment of a late fee of rupees five and forward it to the District Registrar.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
AMRIT VIKAS TOPNO, Joint Secretary.